

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)


राजस्व वाद सं. 1157/2021 Rems M 2021/232

उनवान प्रकरण :- गोरली देवी बनाम सरकार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का पलाड़ा व भू.अ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पलाड़ा पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2043-2076 के खाता संख्या 44 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	ओदश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पलाड़ा	44	गोरादेवी पत्नी सुजाराम, चुका देवी पुत्री सुजाराम महेन्द्र पुत्र सुजाराम राजु पुत्र सुजाराम मेघवंशी सा. पलाड़ा	गोरली देवी पत्नी सुजाराम, आचुकी देवी पुत्री सुजाराम धर्मेन्द्र पुत्र सुजाराम राजेंद्र कुमार पुत्र सुजाराम मेघवंशी सा. पलाड़ा

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक / 2021 / 195 - 198

दिनांक :- 28/6/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी गोरली देवी पत्नी सुजाराम, आचुकी देवी पुत्री सुजाराम धर्मेन्द्र पुत्र सुजाराम राजेंद्र कुमार पुत्र सुजाराम मेघवंशी सा. पलाड़ाको सूचनार्थ
3. पटवारी हल्का पलाड़ा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
4. रक्षित पत्रावली



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)